



Neutral Citation No.-2026:AHC:57130

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2532 वर्ष 2026

आयुष पटेल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी दल

आवेदक के वकील : संतोष कुमार सिंह, सर्वेश कुमार दुबे

विपक्षी दल के वकील : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. तत्काल जमानत आवेदन, केस क्राइम नंबर 17 वर्ष 2025, धारा 318(4), 336(3), 338 बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी, थाना- साइबर क्राइम पुलिस, जिला- सोनभद्र के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो नामजद आरोपियों, रजत कुमार श्रीवास्तव और चिटू उर्फ सुभाष राय के खिलाफ दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि नामजद आरोपियों ने मुखबिर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा करके उन्हें प्रेरित किया और उनके फर्जी बैंक खाते खुलवाए। उक्त लेनदेन में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। आवेदक को वर्तमान मामले में तब फंसाया गया जब सह-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त सुभाष राय को गिरफ्तार किया गया और उसके इकबालिया बयान में आवेदक की पहचान का खुलासा किया गया, जिसे उन व्यक्तियों में से एक बताया गया जो सुभाष राय की गिरफ्तारी के समय मौके से भाग गए थे। आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे इस जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 23 में विधिवत स्पष्ट किया गया है। सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, उसे इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.2.2026 के माध्यम से आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अं. धारा 482 बीएनएसएस संख्या 993 वर्ष 2026 (रजत कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि मुखबिर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का लाभ उठाकर धोखाधड़ी से बैंक खाते खोले गए थे। उक्त बैंक खातों में बड़ी मात्रा में पैसा स्थानांतरित किया गया है और बैंक खातों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने यह भी सूचित किया है कि मुखबिर और उसकी रिश्तेदार आरती तथा माधुरी के खाता खोलने के फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिए गए थे, उनमें से एक आवेदक का था। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने केस डायरी के अवलोकन पर बताया कि उक्त फर्जी बैंक खातों का उपयोग करके 1 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई है और यह राशि साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसके नाम का खुलासा सह-अभियुक्त सुभाष राय के इकबालिया बयान में हुआ है। पुलिस द्वारा दर्ज आवेदक का इकबालिया बयान इंगित करता है कि आवेदक सुभाष राय का कर्मचारी था और उसके ढाबे पर मैनेजर के रूप में काम करता था। आवेदक को साजिश का हिस्सा बताया गया है, जिसके लिए उसे 10,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। हालांकि, आवेदक का

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मोबाइल नंबर देकर खोले गए खातों की ए.टी.एम. पासबुक, चेक बुक आदि कथित तौर पर सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव के पास रखी गई थीं। आवेदक के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक 3.12.2025 से जेल में बताया जा रहा है और अब आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र जमा कर दिया गया है। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त रजत कुमार श्रीवास्तव को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.2.2026 के माध्यम से आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अं. धारा 482 बीएनएसएस संख्या 993 वर्ष 2026 (रजत कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य) में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया गया है।

7. उपरोक्त के आलोक में, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपरोक्त केस क्राइम नंबर में शामिल अभियुक्त-आवेदक- आयुष पटेल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा वकील के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, निचली अदालत को उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित वकील द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
12. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

19 मार्च, 2026

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।